कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 3316 /विधि/एम0पैक्स नियमावली प्रख्यापन /2022–23 दिनांक 24 जून 2022

समस्त,

जिला सहायक निबन्धक,

सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड।

विषय – बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली के प्रख्यापन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मा0 सहकारिता मंत्री जी द्वारा दिनांक 22.06.2022 को आहूत बैठक में बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली को पब्लिक डोमेन तथा दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन एवं विभाग की बेवसाइड में अपलोड किये जाने तथा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त सुझावों को संकलित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

उक्त क्रम में बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली की प्रति आपको ई–मेल के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही हैं अपने स्तर से नियमावली का प्रचार–प्रसार करते हुये जनपद स्तर से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं सुझावों को संकलित कर एक सप्ताह के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।

संलग्न–उक्तानुसार।

(आनन्द ए0डी0शुक्ल)

अपर निबन्धक,

सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड,

देहरादून।

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति कर्मचारी केन्द्रीयित सेवा नियमावली 2021

उत्तराखण्ड शासन

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1

संख्या /XIV–1/2021–07(1)2020

देहरादून, दिनांक जनवरी, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 122–क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के दृष्टि से निम्नांकित नियमावली, 2021 बनाते हैं अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(1) इस अध्याय–एक (प्रारम्भिक) नियमावली का संक्षिप्त नाम ''उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति कर्मचारी केन्द्रीयित सेवा नियमावली 2021'' हैं।

(2) यह उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के अधीन निबन्धित समझी गई उत्तराखण्ड राज्य क समस्त बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों पर लागू होगी।

(3) यह शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

अध्याय –1 (प्रारम्भिक

2.परिभाषाऐं

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' से उत्तराखण्ड सहकारी समितियॉ अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 सन् 2003) समय–समय पर संशोधित अभिप्रेत है।

(ख) ''रजिस्ट्रार'' अथवा ''निबन्धक'' से अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ग) ''राज्य संवर्ग प्राधिकारी'' से राज्य स्तर पर गठित ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसे इस नियमावली के अधीन राज्य की समस्त बहुउददेशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के मानव संसाधन के विषय में नीतिगत निर्णय लिये जाने का दायित्व सौंपा गया हो।

(घ) ''केन्द्रीयित सेवा'' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसे नियम 4 में वर्गीकृत किया गया है।

(ड़) ''जिला स्तरीय समिति'' से जिले स्तर पर गठित ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसे इस नियमावली के अधीन जिले की बहुउददेशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों में नियुक्त मुख्य कार्यकारी वर्ग के कर्मचारियों के अनुशासनिक नियंत्रण एवं अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया हो।

(च) ''मण्डल स्तरीय समिति'' का तात्पर्य नियम 8 के अधीन गठित मण्डल स्तर की समिति अभिप्रेत है।

(छ) ''मुख्य कार्यकारी'' या ''सचिव'' से अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यथास्थिति सचिव या प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ज) ''सहायक कार्यकारी'' से अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बहुउददेशीय कृषि ऋण सहकारी समिति में आंकिक, लिपिक के रूप में नियुक्त व्यक्तिय अभिप्रेत है।

(झ) ''विकास सहायक'' से बहुउददेशीय कृषि ऋण सहकारी समिति में विक्रेता, वसूली सहायक, सहायक, और चौकीदार के रूप में नियुक्त व्यक्तियों से अभिप्रेत है।

(ञ) ''जिला स्तरीय सहयोग निधि'' से इस नियमावली के अधीन जिले स्तर पर सृजित निधि अभिप्रेत है।

(ट) ''नाबार्ड'' से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अभिप्रेत है।

(ठ) ''बैंक'' से उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 2 के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित जिला केन्द्रीय बैंक अभिप्रेत है।

(ड) ''शीर्ष बैंक'' से उत्तराखण्ड सहकारी बैंक अभिप्रेत है।

(ढ़) ''समिति'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत निबन्धित या निबन्धित समझी जाने वाली बहुउददेशीय कृषि ऋण सहकारी समिति अभिप्रेत है।

(ण) ''कर्मचारी'' से उस व्यक्ति से है जो प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों में पूर्ण कालिक सेवा में है तथा केन्द्रीयत सेवा में सम्मिलित पद पर कार्यरत व्यक्ति अभिप्रेत है।

(त) ''प्राधिकारी'' से बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के लिये राज्य संवर्ग प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(थ) ''नियमावली 1976'' से उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1976 अभिप्रेत है।

अध्याय–2 (संवर्ग, वर्गीकरण, सदस्य संख्या व भर्ती)

3.नियमावली का प्रभाव

(1) यह विनियमावली बहुउददेशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के पदों पर भर्ती, नियुक्ति, स्थानान्तरण, दण्ड, वेतन और भत्ते, अवकाश, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा समाप्ति, अनुशासन की कार्यवाही, सेवाच्युति तथा सेवा शर्तों के सम्बन्ध में अन्य सभी मामलों को नियंत्रित करेगी। इस नियमावली के लागू होने की तिथि से बहुउददेशीय बहुउददेशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के विषय में उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति केन्द्रीयत सेवा, 1976 के अन्तर्गत सृजित केन्द्रीयत सेवा केवल ऐसे वर्तमान सदस्यों यथा प्रबन्ध निदेशक/सचिवों के लिये आगामी 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। जो दिनांक 9.11.2000 अर्थात् उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् केन्द्रीयत सेवा में नियुक्त/आमेलित किये गये हों तथा इस अवधि में इन सदस्यों के द्वारा समितियों को स्वालम्बी व स्वाश्रयी बनाया जायेगा, 5 वर्ष की अवधि बीत जाने के उपरान्त ऐसे सदस्य केन्द्रीयत सेवा में नहीं रह जायेंगे अर्थात् उनकी सेवाएं इस नियमावली से नियंत्रित होंगी तथा तथापि वर्तमान में केन्द्रीयत सेवा के समस्त सदस्यों के पास यह विकल्प खुला रहेगा कि वे इन 5 वर्ष की अवधि के दौरान स्वेच्छा से केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर इन विनियमों के तहत अपनी आगामी सेवाएं निरन्तर रख सकते हैं। उक्त 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयत सेवा विनियमावली, 1976 केवल उन सदस्यों के सम्बन्ध में लागू रहेगी जिनकी नियुक्ति/आमेलन 09.11.2000 से पूर्व हुआ हो तथा उन्होंने इस नियमावली के अन्तर्गत अपनी सेवाओं को निरन्तर रखे जाने का विकल्प न दिया हो। दिनांक 09.11.2000 से पूर्व

उत्तर प्रदेश केन्द्रीयत सेवा नियमावली 1976 में नियुक्त/आमेलित किये गये अन्तिम सदस्य के सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1976 (समस्त संशोधनों सहित)उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में स्वतः विखण्डित समझी जायेगी।

(2) वर्तमान में केन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत नियुक्त कोई सदस्य केन्द्रीयत सेवा को त्यागने व इन विनियमों के तहत अपनी आगामी सेवाएं निरन्तर रखने के सम्बन्ध में अपना निशर्त विकल्प जिला स्तरीय सशक्त समिति को प्रस्तुत करेगा और ऐसा विकल्प प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत जिला समिति द्वारा उस पर विनिश्चय किया जायेगा।

(3) विकल्प के फलस्वरूप किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वेतन किसी भी स्थिति में पूर्ववर्ती व्यवस्था में पा रहें वेतन से कम न होगा।

(4) केन्द्रीयत सेवा के निष्प्रभावी होते ही जिले के कैडर फण्ड में अवशेष समस्त धनराशि को जिला स्तरीय सहयोग निधि में हस्तांतरित किया जायेगा।

4.केन्द्रीयत सेवा की रचना

केन्द्रीयत सेवा में समितियों के समस्त पद सम्मिलित होंगे।

(क) प्रत्येक समिति के लिये समस्त पदों के संवर्ग को जिला स्तरीय सशक्त समिति संचालित करेगी। समिति के व्यवसाय के आधार पर उनका वर्गीकरण एवं स्टाफिंग पैटर्न का निर्धारण किया जाएगा।

(ख) व्यवसाय के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष के अन्त में पैक्स का कुल ऋण वितरण निक्षेप वृद्धि व अन्य गैर ऋण गतिविधियों के कुल कारोबार को सम्मिलित किया जायेगा।

(ग) व्यवसाय के आधार पर समिति का वर्गीकरण–

क्र0 सं0	व्यवसाय (करोड़ रू0 में)	वर्गीकरण
1.	25 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ तक	ए
2.	10 करोड़ से 25 करोड़ तक	बी
3.	05 करोड़ से 10 करोड़ तक	सी
4.	05 करोड़ से कम	डी

(घ) वर्गीकरण के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न–

क्र0सं0	पैक्स का वर्ग	स्टाफिंग पैटर्न			कुल
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सहायक कार्यकारी	विकास सहायक	
1.	ए	1	3	5	9
2.	बी	1	3	3	7
3.	सी	1	2	2	5
4.	डी	1	1	1	3

नोटः

❖ सहायक कार्यकारी के अन्तर्गत लिपिक, आंकिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि पद सम्मिलित होंगे।

❖ विकास सहायक के अन्तर्गत गोदाम कीपर, सहायक आंकिक, वसूली सहायक, सहयोगी, चौकीदार आदि के अधीनस्थ पद सम्मिलित होंगे।

❖ जिन बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समितियों का व्यवसाय 50 करोड़ रू0 या उससे अधिक है उनको "ए+" माना जायेगा और वह अपने कार्यों के भार व गतिविधियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अपने मानव संसाधन में संवर्धन कर सकेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा संवर्धन नाबार्ड/सहकारिता विभाग के निर्धारित मानदण्डों व लाभ केन्द्रित संकल्पना के अन्तर्गत समिति की प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव पर जिला स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के अधीन होगा। मौसमी व्यवसाय जैसे सरकारी खरीद आदि के लिये बाहरी स्रोत से अस्थायी स्टॉफ का प्रबन्ध किया जायेगा।

अध्याय–3 कार्यपालक प्राधिकारी

5. राज्य संवर्ग प्राधिकारी

राज्य संवर्ग प्राधिकारी/राज्य स्तरीय समिति निम्नानुसार गठित होगी–

(1) निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड – **अध्यक्ष**

(2) अध्यक्ष शीर्ष सहकारी बैंक–सदस्य

(3) प्रबन्ध निदेशक, शीर्ष सहकारी बैंक – सदस्य

(4) मुख्य सामान्य प्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा नामित एक प्रतिनिधि –सदस्य

(5)सहकारी सेवा प्रथम श्रेणी का संयुक्त निबन्धक स्तर से अनिम्न अधिकारी – **सदस्य सचिव**

6.राज्य स्तरीय समिति के कार्य–

उक्त समिति, मुख्य नीति निर्धारक निकाय होगी और वह केन्द्रीयत सेवा के पर्यवेक्षण, नियन्त्रण और सेवा के मामलों से सम्बन्धित विषयों पर सम्भागीय और जिला स्तरीय समिति के मार्ग निर्देशन देने के लिए उत्तरदायी होगी तथा निम्नलिखित कार्य करेगी :–

1. केन्द्रीयित सेवा के सदस्यों के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित करना,

2.केवल नीति विषयक मामलों के सम्बन्ध में जिला स्तरीय कमेटी को उनके समुचित रूप से कार्य करने के लिए निर्देश देना और उनका पथ–प्रदर्शन करना,

3.केन्द्रीयत सेवा से सम्बद्ध नीति विषयक मामलों पर राज्य सरकार और निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड को सलाह देना,

4.ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करना जो राज्य सरकार या निबन्धक द्वारा उसे सौंपे जायें।

7.राज्य स्तरीय समिति के सदस्य–सचिव की शक्ति और कर्त्तव्य

उक्त समिति सदस्य सचिव प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और उसके नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए वहः–

(1) प्राधिकारी के लेखा–बहियों और अभिलेखों को समुचित रूप से रखने और नियतकालिक विवरण–पत्रों और विवरणियों को ठीक–ठाक तैयार करने और जब अपेक्षा की जाय ठीक समय पर उन्हें निबन्धक और राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) प्राधिकारी की बैठक बुलायेगा और ऐसी बैठकों का समुचित अभिलेख रखेगा।

(3) प्राधिकारी की ओर से पत्र–व्यवहार की व्यवस्था करेगा।
(4) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो प्राधिकारी द्वारा उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त की जायें।

8.मण्डल स्तरीय समिति–

मण्डल स्तरीय समिति निम्नानुसार गठित होगी–
(1) उपनिबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड, कुमॉऊ/गढ़वाल –**अध्यक्ष**
(2) मण्डल में जिलों के नामों के वर्णमाला क्रम में, चक्रानुक्रम से एक सहकारी वर्ष के लिए बैंक का अध्यक्ष– सदस्य
(3) मण्डल में जिलों के नामों के वर्णमाला क्रम में, चक्रानुक्रम से एक सहकारी वर्ष के लिए जिला सहायक निबन्धक – सदस्य
(4) मण्डलीय कार्यालय का अपर जिला सहकारी अधिकारी (बैंकिंग) – **सदस्य सचिव**

9.मण्डल स्तरीय समिति के कार्य–

मण्डल स्तरीय समिति राज्य संवर्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नीति और निर्गत मार्ग निर्देशन और अनुदेशों के अधीन रहते हुये, केन्द्रीयित सेवा के सदस्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी होगी तथा निम्नलिखित कार्य करेगी:

1. जिला स्तरीय समितियों को उनके समुचित कार्य संचालन के लिए निर्देश देना और उनका मार्गदर्शन करना।
2. जिला स्तरीय समिति द्वारा दिये गये दीर्घ दण्ड (जैसा पदच्युति, हटाया जाना या पदावनति) सम्बन्धी शासकीय आदेश से उत्पन्न अपीलों की सुनवाई और विनिश्चय करना;

10.जिला स्तरीय समिति–

जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार गठित होगी–
(1) अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक – **अध्यक्ष**
(2) सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 – सदस्य
(3) जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड –सदस्य
(4) जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ – **सदस्य सचिव**
(5) दो बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति के अध्यक्ष (बाई रोटेशन) – सदस्य

11.जिला स्तरीय समिति के कार्य–

जिला स्तरीय समिति जिले में केन्द्रीयित सेवा के सदस्यों की नियुक्ति प्राधिकारी होगी और उसके निम्नलिखित कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व भी होंगे:–

1. जिले में केन्द्रीयित सेवा के सदस्यों पर नियन्त्रण और पर्यवेक्षण रखना;
2. जिले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान में सदस्यों का स्थानान्तरण करना;
3. जिले में समिति पर उद्गृहीत अंशदान की वसूली सुनिश्चित करना;
4. जिले में समितियों का उनकी वार्षिक ऋण के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों में वर्गीकरण करना;
5. निबन्धक सहकारी समिति उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये अनुदेश के अनुसार समितियों के वर्तमान कर्मचारियों का अनुवीक्षण करने के पश्चात् उनके आमेलन का प्रबन्ध करना;
6. जिले में प्रतिवर्ष केन्द्रीयित सेवा के सदस्यों के कार्य का मूल्यांकन करना;
7. केन्द्रीयित सेवा के सदस्यों की प्रवर्गवार ठीक–ठाक ज्येष्ठता सूची रखना; और

8. ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य संवर्ग प्राधिकारी कमेटी द्वारा उसे सौंपा जाये।

12.जिला स्तरीय समिति के सदस्य–सचिव के कार्य–

जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, जिला स्तरीय समिति का सदस्य सचिवः–

1. जिला कमेटी की लेखा–बहियों और अन्य अभिलेखों को समुचित रूप से रखने और नियतकालिक विवरण–पत्रों और विवरणियों को ठीक–ठाक तैयार करने और ठीक समय पर जब अपेक्षा की जाय, उन्हें क्षेत्रीय व राज्य प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;
2. कमेटी की बैठक बुलायेगा और ऐसी बैठकों का समुचित अभिलेख रखेगा;
3. जिला कमेटी की ओर से पत्र–व्यवहार करने का प्रबन्ध करेगा;
4. केन्द्रीयित सेवा के सदस्यों पर प्रभावी पर्यवेक्षण करने को सुनिश्चित करेगा;
5. जिले में केन्द्रीयित सेवा के सदस्यों की सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजिका और वैयक्तिक पत्रावली को समुचित और अद्यावधिक रखे जाने को सुनिश्चित करेगा;
6. केन्द्रीयित सेवा के सदस्यों की सेवा विषयक समस्त मामलों को शीघ्र निस्तारण किये जाने को सुनिश्चित करेगा;
7. जिला स्तरीय कमेटी के कार्यालय को समुचित ढंग से रखने और सुचारू रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करेगा;
8. ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो जिला कमेटी द्वारा उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त किये जायें।

13.जिला स्तरीय सहयोग निधि–

बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति द्वारा अपने मानव संसाधन (मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित) पर होने वाले वेतन व्यय का भार स्वयं अपने संशाधनों से वहन किया जायेगा। जो बहुउददेशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति आर्थिक रूप से सुदृढ़ न होने के कारण अपने कर्मचारियों का वेतनभार स्वयं वहन करने में अक्षम हों उन्हें जिला स्तरीय सहयोग निधि से केवल वेतन के लिये अन्तर वित्तपोषण (Gap Funding) किया जायेगा, प्रतिबन्ध प्रतिबन्ध यह होगा कि सेवानिवृत्ति प्रलाभ जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण आदि के लिये उक्त निधि से कोई वित्तपोषण नहीं किया जायेगा।

14.निधि का संचालनः–

जिला स्तरीय सहयोग निधि का संचालन जिला स्तरीय सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त निधि में आवश्यकता के अनुरूप जिला स्तरीय समिति की मॉग पर बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति, जिला सहकारी बैंक, राज्य सरकार एवं नाबार्ड द्वारा निम्नानुसार अंशदान किया जायेगा–

(क) (i) बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समिति अंशदान– वर्ष दौरान वितरित ऋण का 2%

(ii) ग्रामीण बचत केन्द्र – समिति द्वारा संचालित ग्रामीण बचत केन्द्र की कुल जमाओं से अर्जित शुद्ध लाभ का 25%, समिति द्वारा जमा किये जाने वाले उपरोक्त (i) एवं (ii) के अंशदान की धनराशि 5.00 लाख रू0 से अधिक नहीं होगी।

(iii) जिला सहकारी बैंक – समितियों के माध्यम से वर्ष दौरान वितरित ऋण का 1.5%

(iv) राज्य सरकार – समय–समय पर निर्धारित जिला योजना तथा राज्य योजना में आवंटित बजट
(ख) यदि जिला सहकारी बैंक हानि पर हों तो जिला स्तरीय सहयोग निधि में नाबार्ड (सह0वि0नि0प्राविधान) व राज्य सरकार द्वारा 50%–50% अंशदान किया जायेगा।

जो समिति भुगतान की क्षमता के समरूप न हो उन्हें दीर्घकालिक स्वाश्रीयता प्राप्त करने हेतु 5 वर्ष की समय सीमा प्रदान की जायेगी। इस अवधि में इन समितियों को उक्तानुसार जिला स्तरीय सहयोग निधि से ऋण के रूप में ब्याज रहित वित्तीय सहयोग वर्षवार निम्न ह्रासमान के आधार पर किया जायेगा–

प्रथम वर्ष–100%
द्वितीय वर्ष–80%
तृतीय वर्ष–60%
चतुर्थ वर्ष–40%
पंचम वर्ष–20%

इन समितियों के द्वारा स्वयं को 5 वर्ष की अवधि में स्वाश्रयी बनाये जाने के निमित्त नाबार्ड की "भुगतान की क्षमता" के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुपालन में विशिष्ट व्यावसायिक विकास योजना तैयार की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अपनी प्रबन्ध कमेटी के अनुमोदन से जिला स्तरीय सशक्त समिति के साथ अनुबन्ध किया जायेगा। इन व्यवसायिक विकास योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सहयोग राशि के अवमुक्त किये जाने से पूर्व किया जायेगा। अन्तर वित्तपोषण सहयोग मात्रा की अवमुक्ति हेतु इन अक्षम समितियों के द्वारा अपनी व्यावसायिक विकास योजना के भाग के रूप में प्रस्तावित धनापूर्ति पत्रांक (Cash flow statements) भी तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे। वित्तीय सहायता/अन्तर वित्तपोषण को अवमुक्त करने से पूर्व आय में अन्तर जैसा कि धनापूर्ति पत्रक में प्रदर्शित हो कि समीक्षा जिला स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी।

यदि जिला स्तरीय समिति के सहयोग से समिति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के दौरान "भुगतान की क्षमता" का अनुपालन कर लिया जाता है तो उक्त अन्तर वित्तपोषण सहयोग स्वतः समाप्त हो गया समझा जायेगा।

ऐसी अक्षम बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति को सेवाश्रयी होने के लिये 5 वर्ष का समय दिया जायेगा तदपश्चात् जिला स्तरीय सहयोग निधि से अग्रेत्तर कोई भी वित्तीय सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा अर्थात् 5 वर्ष की अवधि के उपरान्त ऐसी अक्षम समितियों को अपने प्रबन्धकीय व्यय के लिए अपने स्तर से ही समस्त संसाधन जुटाने होंगे।

अध्याय–4 (चयन व भर्ती प्रक्रिया)

15.रिक्तियों का मूल्यांकन– जिला स्तरीय समिति वर्तमान एवं आगामी दो वित्तीय वर्षों में होने वाली रिक्तियों का मूल्यांकन करेगी जिसे राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

16. चयन प्रक्रिया – (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सहायक कार्यकारी के पदों पर भर्ती लिखित एवं साक्षात्कार के आधार पर की जायेगी, जिसमें 85% अंक लिखित व 15% अंक साक्षात्कार के निर्धारित किये जायेंगें। साक्षात्कार के अन्तर्गत ही 5% अंक सहकारिता में डिग्री, डिप्लोमा अथवा सी–पैक सार्टिफिकेट के होंगे। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के लिये भर्ती उत्तराखण्ड सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल से करायी जायेगी।

(2) विकास सहायक के पद पर भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से कराई जायेगी तथा बहुउददेशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति के कार्यक्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(3) समिति की प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव पर सहकारिता विभाग/जिला सहकारी बैंक के अधिकारी को भी समिति के मुख्य कार्यकारी के पद पर कार्योजित किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में कार्योजित किये गये विभागीय अधिकारी जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी/अधिकारी का वेतन, भत्ते व अन्य सभी सम्बद्ध प्रलाभ अपने मूल विभाग से देय होंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी भी दशा मे कार्योजित अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

17.योग्यता– (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक। सहकारी प्रबन्धन में डिग्री या डिप्लोमा तथा कम्पयूटर के सामान्य ज्ञान की अनिवार्यता होगी। कृषि/वाणिज्य/अर्थशास्त्र/एम0बी0ए0/सहकारी प्रबन्ध संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त को वरीयता दी जायेगी।

(2) सहायक कार्यकारी – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक के साथ कम्प्यूटर में प्रवीणता।

(3) विकास सहायक– इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।

(वर्तमान में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सहायक कार्यकारी जो उक्त शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं और जिनकी 10 वर्ष की सेवा शेष हो, को उक्त नीति के लागू होने की तिथि 5 वर्ष के अन्तर्गत अपेक्षित योग्यता अर्जित करनी होगी अन्यथा की स्थिति में उनको अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा।)

18.आरक्षण – अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

अध्याय–5 (वेतन एवं अन्य परिलब्धियॉ आदि)

19.वेतन– बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति कर्मचारियों का वेतन कार्य–प्रदर्शन पर आधारित होगा अर्थात् उन्हें संकलित वेतन अनुमन्य किया जायेगा तथा संकलित वेतन के अतिरिक्त कार्य प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि अनुमन्य होगी जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समिति के शुद्ध लाभ के सादृश्य निम्नानुसार आगणित की जायेगी। किसी भी वर्ष यदि समिति हानि की स्थिति में हो तो प्रोत्साहन राशि देय न होगी।

पद का नाम	संकलित वेतन (रू0 में)	प्रोत्साहन राशि	प्रोत्साहन राशि की अधिकतम सीमा रूपये में
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	15000 प्रतिमाह	वर्ष दौरान शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत	1,00,000.00
सहायक कार्यकारी	10000 प्रतिमाह	वर्ष दौरान शुद्ध लाभ का 3 प्रतिशत	75,000.00
विकास सहायक	7000 प्रतिमाह	वर्ष दौरान शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	50,000.00

20.वेतन पुनरीक्षण

समिति कर्मचारियों के संकलित वेतन का पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल में एक बार राज्य संवर्ग प्राधिकारी द्वारा वेतन पुनरीक्षण के आधार पर किया जायेगा। पुनरीक्षित वेतन ऐसी तिथि से प्रभावी होगा जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निश्चित की जाय। समिति के प्रबन्धन को कर्मचारियों के वेतन में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन करने का कोई अधिकार नहीं होगा तथापि समिति का प्रबन्धन सहकारिता विभाग के निर्धारित मानदण्डों के अधीन रहते हुये, अपने स्टाफ को लक्ष्यों से अधिक उत्पादकता प्राप्त करने पर जिला स्तरीय सशक्त समिति की अनुमति से अतिरिक्त उत्पादकता के सापेक्ष वित्तीय प्रोत्साहन दे सकती है।

वेतन पुनरीक्षण भी कार्य–प्रदर्शन के आधार पर किया जायेगा अर्थात् पुनरीक्षण के उपरान्त कार्मिकों के संकलित वेतन में भिन्नता होने पर किसी कार्मिक को किसी अन्य समिति में उसके समकक्ष नियुक्त कार्मिक के बराबर वेतन पाने का अधिकार न होगा यदि संकलित वेतन का अन्तर कार्य–प्रदर्शन के आधार पर पुनरीक्षित होने पर अधिक हो गया हो।

21.अन्य कल्याणकारी सुविधाएं

प्रबन्ध समिति के निर्णय के अनुसार बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति कर्मचारियों को दुर्घटना मृत्युबीमा से लाभान्वित किया जायेगा। अग्रेत्तर, कर्मचारियों व उनके जीवनसाथी यथास्थिति पति/पत्नी और दो आश्रित बच्चे स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित होंगे, जिसकी 50 प्रतिशत किस्त कर्मचारी द्वारा व शेष 50 प्रतिशत किस्त समिति द्वारा वहन की जायेगी परन्तु 50 प्रतिशत किस्त की कुल धनराशि रू0 2500.00 प्रतिवर्ष से अधिक न होगी। इस निमित्त राज्य सरकार व भारत सरकार की कोई बीमा योजना स्वीकार की जा सकेगी। यदि कोई अन्य श्रेष्ठ बीमा योजना पूर्व से ही किसी पैक्स में क्रियान्वित है तो वह जारी रखी जा सकेगी।

22.अवकाश नगदीकरण–

प्रबन्ध समिति के निर्णय के अनुसार बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समिति के सभी कार्मिक अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति पर अपने अवकाश खाते में जमा 300 दिवस (अथवा राज्य सरकार की भॉति) के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की राशि प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे जिसका भुगतान समिति की निधि से देय होगा तथा जिला स्तरीय सहयोग निधि से इस बाबत अन्तर वित्तीयपोषण नहीं किया जायेगा अर्थात् जब तक समिति स्वयं अपने संसाधनों से अवकाश नकदीकरण का भुगतान करने के लिये सक्षम नहीं हो पाती है तब तक उक्त सुविधा को लागू नहीं किया जायेगा।

23.ग्रेच्युटी– ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अधीन रहते हुये यदि कोई समिति उक्त अधिनियम से आच्छादित होती हो तो ऐसी समिति के कर्मचारी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे। प्रत्येक एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कर्मचारी 15 दिवस का वेतन ग्रेच्युटी के रूप में पाने का अधिकारी होगा परन्तु यह की ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि रू0 2.50 लाख से अधिक न होगी। सम्बन्धित पैक्स की प्रबन्ध कमेटी द्वारा समिति की निधि से कर्मचारी की ग्रेच्युटी स्वीकृत व भुगतान की जायेगी, और किसी भी दशा में ग्रेच्युटी भुगतान के लिये जिला स्तरीय सहयोग निधि से अन्तर वित्तपोषण नहीं किया जायेगा तथापि राज्य स्तरीय सशक्त कमेटी/जिला स्तरीय सशक्त कमेटी द्वारा बीमा कम्पनियों की उपर्युक्त ग्रुप बीमा योजना अंगीकृत करने हेतु अपना मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है।

24.कर्मचारी की मृत्यु किसी बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति कर्मचारी की सेवा में रहते हुये आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रितों को तत्काल रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

25.त्यौहार अग्रिम– ऐसी बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति जो अपने प्रबन्धकीय व्यय को स्वयं अपने संसाधनों से वहन करती हों तथा जो किसी उच्चतर वित्तीय संस्था की बकायादार न हो, उनके कार्मिक एक माह के वेतन के बराबर त्यौहार अग्रिम पाने के लिये पात्र होंगे जिसकी 10 समान मासिक किस्तों में ब्याज रहित वसूली की जायेगी।

26.व्यक्तिगत ऋण किसी बहुउददेशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति के स्थायी कर्मचारी को, जिसने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, रू0 100000.00 (एक लाख) तक के व्यक्तिगत ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। ऋण की ब्याज दर किसी भी दशा में पैक्स द्वारा अपने सदस्यों को किसी भी प्रयोजन के लिये दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम ब्याज दर से कम न होगी तथा ऋण की वसूली 36 समान किस्तों में की जायेगी।

27.मातृत्व अवकाश बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति कर्मचारियों को राज्य में लागू नीति के अनुसार मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान की जायेगी।

28.पेंशन योजना उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 63 में निर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुये सेवा निवृत्ति के उपरान्त सम्मानजनक जीवन यापन के लिये बहुउददेशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति कर्मचारियों के लिये अंशदायी पेंशन योजना लागू की जा सकेगी। राज्य स्तरीय समिति पैक्स कर्मचारियों के लिये स्व–वित्तपोषित पेंशन योजना को विकसित कर लागू किये जाने के सम्बन्ध में विचार कर सकती है।

अध्याय–6 (ज्येष्ठता, परिवीक्षा, स्थायीकरण, सेवा समाप्ति, त्याग पत्र आदि)

29.ज्येष्ठता– (1) किसी कर्मचारी की ज्येष्ठता निम्न प्रकार से अवधारित की जायेगी– किसी पदक्रम में किसी कर्मचारी की ज्येष्ठता उस पदक्रम में उसके स्थायीकरण के दिनांक के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(2) स्थायीकरण होने तक–

(क) किसी विशिष्ट पदक्रम या श्रेणी में पदोन्नत कर्मचारियों की परस्पर ज्येष्ठता ठीक नीचे की श्रेणी या पदक्रम में उनकी अपनी–अपनी ज्येष्ठता द्वारा अवधारित की जायेगी।

(ख) सीधी भर्ती किये गये अभ्यर्थियों की परस्पर ज्येष्ठता सीधी भर्ती की प्रवीणता सूची में दर्शित क्रमानुसार होगी, प्रवीणता सूची में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(ग) किसी विशिष्ट पदक्रम या श्रेणी में सीधी भर्ती किये गये अभ्यर्थियों और पदोन्नत कर्मचारियों की आपस में ज्येष्ठता पदोन्नत कर्मचारी को पहले और सीधी भर्ती किये गये अभ्यर्थी को ठीक उसके नीचे रख कर अवधारित की जायेगी और एकान्तर की इस प्रक्रिया द्वारा पदोन्त और सीधी भर्ती किये गये अभ्यर्थियों की एक विलयन सूची तैयार की जायेगी।

(घ) ज्येष्ठता के सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय या विवाद हो तो उसे राज्य प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की संयुक्त ज्येष्ठता राज्य की समस्त बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों में तैनात मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सम्मिलित कर अवधारित की जायेगी तथा सहायक कार्यकारी व विकास सहायकों की संयुक्त ज्येष्ठता जनपद में कार्यरत सहायक कार्यकारी व विकास सहायकों की संयुक्त ज्येष्ठता जनपद में कार्यरत सहायक कार्यकारी व विकास सहायकों को सम्मिलित कर अवधारित की जायेगी अर्थात मुख्य कार्यकारी राज्य कैडर तथा सहायक कार्यकारी व विकास सहायक जनपद कैडर होगा।

30.परिवीक्षा– (अ) सीधी भर्ती द्वारा या अन्तिम समायोजन द्वारा या पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया हो, उसे परिवीक्षा काल पर दो वर्ष पर रखा जायेगा और यह समय जिला समिति द्वारा आगे 6 माह के लिये बढाया जा सकता है।

(ब)यदि ऐसा देखा गया किसी भी समय पहले या परिवीक्षा काल के अन्त में या परिवीक्षा काल में वृद्धि के समय के अन्त में किसी कार्मिक ने प्रदत्त अवसरों का लाभ पूर्णरूपेण नहीं उठाया है या उसने कार्य को पूरी तरह से अंगीकृत नहीं किया है या उसने अपने कार्य का सम्पादन संतोषजनक देने में असफलता प्राप्त की है, तो ऐसी दशा में जिला समिति उसे सेवा से मुक्त या जिस वर्ग से उसे पदोन्नत किया गया हो उस वर्ग में पदावनत कर सकती है।

(स)यदि कोई कार्मिक जो परिवीक्षा काल के मध्य या अन्त में या परिवीक्षा काल की वृद्धि किये गये समय के अन्त या मध्य से सेवा से मुक्त किया गया हो तो उसे किसी भी प्रकार क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।

31. स्थायीकरण– परिवीक्षा काल के सन्तोषजनक समापन पर जिला समिति सदस्य को स्थायी करेगी।

32.सेवा समाप्ति– जिला समिति द्वारा किसी कार्मिक की सेवा निम्न रीति से समाप्त की जा सकेगी–

(अ) अस्थायी कार्मिक की दशा में एक माह का लिखित नोटिस दोनों ओर से या उसके एवज में एक माह का वेतन उस पक्ष द्वारा देय होगा, जो नोटिस देगा।

(ब) उस दशा में जब नियुक्ति तदर्थ आधार पर या किसी निर्धारित समय के लिये अनुबन्ध पर की गई हो तो नोटिस या उसके एवज में वेतन की देयता अनावश्यक होगी।

(स) स्थाई कार्मिक के मामले में तीन माह का लिखित नोटिस दोनों पक्षों की ओर से, के द्वारा

33. स्पष्टीकरणः– (1) कार्मिक द्वारा दिया गया नोटिस तभी उचित माना जायेगा जबकि वह नोटिस के समय के मध्य कार्यरत हो तथापि उसे अर्जित अवकाश का वह भाग स्वीकृत किया जायेगा जो बकाया हो, परन्तु वह नोटिस काल से अधिक न होगा।

(2) ''माह'' का उल्लेख जो इस विनियमावली में प्रयोग किया गया है, वह समय 30 दिन का होगा जो नोटिस प्राप्त या जिला समिति द्वारा या कार्मिक द्वारा प्राप्त किया गया हो की तिथि से प्रारम्भ समझा जायेगा जैसी भी स्थिति हो। सेवा समाप्ति का नोटिस जिला समिति की ओर से सदस्य सचिव द्वारा दिया जायेगा।

34.पदोन्नति (क) किसी भर्ती वर्ष में समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रिक्त पदों में से सहायक कार्यकारी के लिये एक तिहाई रिक्त पद, सहायक कार्यकारी के पदों में से विकास सहायकों के लिये एक तिहाई रिक्त पद आरक्षित रहेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रिक्त पद से तथा सहायक कार्यकारी के रिक्त राज्य स्तरीय प्राधिकारी से एवं विकास सहायक के पद जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन से भरे जायेंगे। यदि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो राज्य स्तरीय सशक्त समिति के द्वारा ऐसी रिक्तियों को विज्ञापित कर सीधी भर्ती के माध्यम से उक्त निर्धारित रीति से भरा जा सकेगा।

(ख) पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

35.प्रत्यावर्तन (1) पदोन्नति होने पर उच्चतर पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी को, जब तक वह उस पर स्थाई न कर दिया गया जाये, बिना नोटिस उस पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा, यदि–

(क) उसका कार्य तथा कार्य–निष्पादन संतोषजनक न समझा जाये, या

(ख) उच्चतर पद जिस पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा था, की रिक्ति किसी कारण से समाप्त हो गयी हो।

(2) प्रत्यावर्तन के आदेश, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिये जायेंगे।

36. छँटनी (1) यदि किसी सहकारी समिति का कार्य कम हो गया हो या मितव्ययता के लिये सम्बद्ध पद या पदों को कम किया जाना आवश्यक हो गया हो तो समिति के प्रस्ताव पर जिला स्तरीय सशक्त समिति ऐसी छंटनी के लिये स्वीकृति प्रदान करेगी।

(2) छँटनी प्रक्रिया में पदक्रम के कनिष्ठतम कर्मचारी की छँटनी करने की नीति अपनायी जायेगी।

37.त्याग पत्र (1) समिति का कोई कर्मचारी निम्न रीति से अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है–

(क) अस्थाई कर्मचारी की दशा में, एक माह का लिखित नोटिस देकर परन्तु यह कि 6 मास से कम की अवधि के लिए की गई सीधी नियुक्ति की दशा में कोई नोटिस देने या उसके बदले किसी वेतन का भुगतान करने का आवश्यक नहीं होगा।

(ख) किसी स्थाई कर्मचारी की दशा में 3 माह का नोटिस देकर।

(2) त्याग पत्र, स्वीकृत होने के दिनांक से प्रभावी होगा।

(3) त्याग पत्र देने वाला कर्मचारी समिति के अभिलेख, पुस्तिकाओं तथा सम्पत्ति का जो उसकी अभिरक्षा में हों, प्रभार सौंपने के लिये त्याग पत्र की स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि का वेतन पाने का हकदार होगा, यदि वह पूर्ण प्रभार सौंपने में विलम्ब करता है तो वह इस अतिरिक्त अवधि का वेतन पाने का हकदार न होगा।

(4) यदि त्याग पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाये कि समिति का कोई अभिलेख, पुस्तिका या सम्पत्ति किसी कर्मचारी द्वारा रोक ली गई है, तो उसका त्याग पत्र स्वीकार किये जाने के बावजूद, वह उनके लिये उत्तरदायी बना रहेगा।

38.
स्थानान्तरण

(1) (क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी– जिला स्तरीय समिति द्वारा बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का स्थानान्तरण प्रत्येक 3 वर्ष के उपरान्त जनपद की अन्य पैक्स में किया जायेगा। किसी भी दशा में कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक ही जिले में 8 वर्ष से अधिक तैनात नहीं रहेगा। राज्य समिति के द्वारा ऐसे कार्यकारी अधिकारियों की सूची तैयार की जायेगी जो उपरोक्त वर्णित अवधि से आच्छादित होते हों, विगत सेवा काल में उसी समिति या जिले में तैनाती अवधि को भी इस निमित्त सम्मिलित किया जायेगा। राज्य समिति द्वारा ऐसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अन्यत्र जिले में तैनात किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में गृह ब्लॉक में तैनाती नहीं की जायेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का स्थानान्तरण वरिष्ठता/श्रेष्ठता के आधार पर उच्च वर्गीकृत समिति में किया जायेगा जैसे वर्ग ए में वरिष्ठतम/श्रेष्ठता के आधार पर कार्मिक तैनात किया जायेगा तथा उसी अनुक्रम में तैनाती करते हुए कार्मिकों को वरीयता के क्रम में रखा जायेगा।

(ख) सहायक कार्यकारी – जिला स्तरीय समिति द्वारा सहायक कार्यकारी का स्थानान्तरण प्रत्येक 5 वर्ष उपरान्त जिले की अन्य बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समिति में किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरण के समय कार्यभार आदान प्रदान करने के विषय में राज्य स्तरीय समिति पृथक से नियम बनायेगी।

(3) स्थानान्तरण के लिये सम्बन्धित कार्मिकों से तीन विकल्प मांगे जायेंगे तथा स्थानान्तरण के समय अन्य विषयों के साथ–साथ उन विकल्पों का भी संज्ञान लिया जायेगा।

(4) 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अथवा शारीरिक रूप से विकलांग कार्मिक को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण से मुक्त रखा जायेगा।

(5) सूची में कार्मिकों की तैनाती अवधि के अवरोही क्रम में स्थानान्तरण किये जायेंगे।

(6) सामान्यतः स्थानान्तरण माह जुलाई/अगस्त में प्रभावी हों ताकि ऋण वसूली प्रतिकूल रूप से प्रभावी न हो।

(7) उक्त निर्धारित मानकों के आधार पर राज्य स्तरीय समिति, मण्डल स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति स्थानान्तरण को प्रभावी करने के लिये उत्तरदायी होगी।

परन्तु अपवाद की स्थिति में किसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सहायक कार्यकारी को विशिष्ट आधारों/प्रमाणिक कारणों से, जो भी सम्बन्धित समिति निर्णय करे, निर्धारित की गई अवधि से पूर्व भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण ऐसी पैक्स में हो जाए जो उसके वेतनभार को वहन करने के लिए अक्षम हों, तो ऐसी स्थिति में जिला स्तरीय सशक्त समिति के द्वारा जिला स्तरीय सहयोग निधि से वेतन की शेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु अन्तर–वित्तपोषण किया जायेगा। इस प्रकार के स्थानान्तरण से अक्षम समिति को यह लाभ होगा कि ऐसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सहायक कार्यकारी उस पैक्स में तैनात होगा जो पूर्व में अपनी व्यावसायिक विकास कुशलता और दक्षता को प्रदर्शित कर चुका है।

(8) स्थानान्तरण पर, पदभार ग्रहण काल सदस्य के लिये राज्य सरकार कर्मचारियों के लिये लागू नियमों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

(9) विकास सहायक का पद स्थानान्तरणीय नहीं होगा।

39. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

किसी बहुउद्देशीय कृषि ऋण सहकारी समिति कर्मचारी की सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में उसके किसी एक आश्रित जो मृतक कर्मचारी का विधिक उत्तराधिकारी भी हो, के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का आवेदन करने पर प्रबन्ध कमेटी के प्रस्ताव पर जिला स्तरीय संशक्त समिति के द्वारा राज्य में प्रचलित संगत नियमावली के प्राविधानों के अधीन रहते हुये जिले की किसी एक पैक्स में जहॉ ऐसे आश्रित की शैक्षिक योग्यता के अनुरूप पद रिक्त हों, में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

40.सेवा पंजिका व अन्य सेवा अभिलेख–

(अ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी से सम्बन्धित सेवा पंजिका व अन्य अभिलेख जिला समिति निम्नलिखित रखेगी तथा अन्य सभी पदों के मामले में ये समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा रखे जायेंगे–

(1) प्रत्येक कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली जिसमें नियुक्ति आदेश की प्रति, वांछित प्रमाण–पत्र, चेतावनियों की प्रतिलिपि, अवकाश आदेश, दक्षता रोक को अस्वीकृत करने के आदेश, दण्डादेश यदि कोई हो अन्य सेवा पत्रावलियॉ जो भी आवश्यक हों।

(2) निर्धारित प्रपत्र पर सेवा पुस्तिका

(ब) वार्षिक चरित्र प्रविष्टिः मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सम्बन्ध में निम्न तीन स्तर होंगे–

(1) सम्बन्धित समिति का अध्यक्ष – प्रतिवेदक अधिकारी

(2) सम्बन्धित विकास खण्ड का सहायक विकास अधिकारी (सह0)– समीक्षक अधिकारी

(3) सम्बन्धित जिला समिति का सदस्य सचिव–स्वीकर्ता अधिकारी

सहायक कार्यकारी एवं विकास सहायक के सम्बन्ध में निम्न दो स्तर होंगे–

(1) सम्बन्धित समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी – **प्रतिवेदक अधिकारी**

(2) सम्बन्धित समिति का अध्यक्ष– **स्वीकर्ता अधिकारी**

(स) सभी आख्याएं लिखी जायेंगी और स्वीकर्ता अधिकारी के पास वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 3 माह के अन्दर जमा कर दी जायेगी, स्वीकर्ता अधिकारी उसे दो माह के अन्दर प्रतिकूल टिप्पणी, यदि कोई हो, सम्बन्धित कार्मिक को संसूचित करेगा।

प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध अपील 30 दिन के अन्दर की जायेगी जिसे जिला समिति के अध्यक्ष के समक्ष उनके निर्णय हेतु रखी जायेगी।

41.सेवा निवृत्ति

(क) समिति के सभी संवर्ग के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष होगी किन्तु यह कि राज्य स्तरीय समिति को युक्तियुक्त कारणों से उक्त अवधि को बढ़ाने या घटाने का अधिकार होगा, प्रतिबन्ध यह होगा कि जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से अधिक किसी भी दशा में नहीं बढ़ायी जायेगी।

(ख) किसी कार्मिक को 50 वर्ष आयु पार करने के पश्चात् उसके स्वयं के अनुरोध पर जिला समिति द्वारा सेवा से निवृत्ति हेतु अनुमति दी जा सकती है।

(ग) जिला समिति को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी भी कार्मिक को भविष्य कालीन सेवा में उसकी लम्बी बीमारी व अन्य किसी कारण अक्षम पाये जाने पर उसे अनिवार्य सेवा निवृत्त कर सकती है, परन्तु यह कि अनिवार्य सेवा निवृत्त करने से पूर्व जिला समिति सदस्य को सुनेगी और सदस्य को उसकी अक्षमता के प्रति सन्तुष्ट करेगी।

अध्याय–5 (आचरण एवं अनुशासन)

42.कर्मचारी को निर्देश

जब तक कि नियुक्ति के आदेश में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, कर्मचारी क का सम्पूर्ण समय सम्बद्ध सहकारी समिति के अधीन रहेगा और वह सहकारी समिति के कार्य में ऐसी हैसियत से और ऐसी अवधि के दौरान तथा ऐसे स्थान पर सेवा करेगा जैसा उसे समय–समय पर निर्देश दिया जाये।

43.कर्मचारी द्वारा आदेशों का पालन किया जाना

किसी सहकारी समिति का प्रत्येक कर्मचारी अधिनियम, विनियमों और उपविधियों के उपबन्धों तथा तद्धीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन करेगा।

44.गुप्त बातों के प्रकटन का निषेध

(क) कोई कर्मचारी किसी व्यक्ति को समिति के कारोबार से सम्बन्धित गुप्त बातें नहीं बताएगा या गोपनीय प्रकार की कारोबार सम्बन्धी सूचना, जो उसके सेवायोजन के दौरान उसके कब्जे या जानकारी में आई हो या जिसे उसने एकत्रित किया हो प्रकट नहीं करेगा परन्तु यह है कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुज्ञा से केवल उतनी सूचना संसूचित कर सकता है जितनी किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवाद के निस्तारण या जॉच करने, निरीक्षण करने, अन्वेषण करने या लेखा परीक्षा करने में, या जहॉ ऐसी सूचना किसी विधि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये आपेक्षित हो।

(ख) प्रत्येक कर्मचारी को यह परिवचन देना होगा कि वह विनिमय संख्या 44(क) में यथा निर्धारित गोपनीयता बनाये रखेगा और ऐसा न करने पर उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

45.शिष्टता पूर्ण व्यवहार रखना

प्रत्येक कर्मचारी सम्बद्ध सहकारी समिति की सेवा ईमानदारी तथा निष्ठा से करेगा और सम्बद्ध सहकारी समिति के हित की उन्नति के लिए अधिकतम प्रयास करेगा। वह अंशधारियों, सदस्यों के साथ समस्त संव्यवहार में और सहकारी समिति के साथ लोकव्यवहार में शिष्टता का व्यवहार करेगा और उन पर ध्यान देगा।

(2) किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त मादक पेयों या औषधियों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी सहकारी समिति का कोई भी कर्मचारी–

(क) जब वह कार्य पर हों ऐसे पेय या प्रतिबन्धित औषधि के सेवन के प्रभाव में न होगा, या

(ख) नशा की स्थिति में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जायेगा, या

(ग) ऐसे पेय या प्रतिबन्धित औषधि का अभ्यासतः प्रयोग नहीं करेगा

(3) किसी सहकारी समिति का कोई भी कर्मचारी–

(क) समिति के भू–गृहादि के भीतर उच्छृंखल या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा या बाजी नहीं लगाएगा अथवा प्रदूषण नहीं करेगा या कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे समिति के कारोबार में गड़बड़ी या अस्तव्यस्तता उत्पन्न हो, या

(ख) समिति की सम्पत्ति को या समिति का कार्य करने वाले व्यक्तियों को जानबूझ कर न तो क्षति पहुँचायेगा और न क्षति पहुँचाने का प्रयास करेगा, या

(ग) किसी भी कर्मचारी को दुराचरण करने, लोप करने या कर्त्तव्यों का उल्लंघन करने के लिये न तो प्रोत्साहित करेगा और न प्रेरित करेगा, या

(घ) समिति के लिये गए ऋण या अग्रिम या अपने प्रभार या सुरक्षा के अधीन समिति के

सम्पत्ति का दुरूपयोग नहीं करेगा, या

(ड़) प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा के बिना समिति के भू–गृहादि के भीतर कोई बैठक न त आयोजित करेगा और न उसमें उपस्थित होगा।

46.कर्मचारी हेतु निषिद्ध कार्य

समिति के कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित कार्य नहीं किये जायेंगे:–

(1) किसी सहकारी समिति का कोई भी कर्मचारी किसी राजनैतिक प्रदर्शन में न तो भाग लेगा, न स्वयं उससे सम्बद्ध करेगा और न ही प्रबन्ध समिति के किसी राजनैतिक निर्वाचन या सहकारी समिति के किसी अन्य पद के निर्वाचन में पक्ष समर्थन करेगा या अन्य प्रकार से अपने प्रभाव क प्रयोग करेगा।

(2) कोई भी कर्मचारी उस सहकारी समिति के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में जिसका वह कर्मचारी है–

(i) सभापति की पूर्व स्वीकृति के बिना, यदि प्रश्नगत कर्मचारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और

(ii) अन्य मामलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना समाचार पत्र में कोई वक्तव्य नहीं देगा या समाचार पत्र या समाचार पत्र अथवा पत्र–पत्रिकाओं में कोई लेख प्रकाशित नहीं करायेगा या आकाशवाणी से कोई वार्ता प्रसारित नहीं करेगा। वह किन्हीं भी व्यक्तिगत शिकायतों को समाचार पत्र या इश्तहार के माध्यम से प्रसारित नहीं करेगा।

(3) कोई भी कर्मचारी नियुक्त प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भी बाहरी सेवा योजना या पद, चाहे वो वेतनभोगी हो या अवैतनिक, न स्वीकार करेगा, न उसके लिये याचन करेगा और न उसे पाने की चेष्टा करेगा।

(4) कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय अग्रतर अध्ययन के लिए किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश नहीं लेगा। ऐसी अपेक्षित अनुज्ञा केवल उपयुक्त मामलों में और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए केवल तभी दी जा सकेगी जबकि सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि कर्मचारी को ऐसी अनुज्ञा देना उसके कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधक न होगी।

(5) कोई भी कर्मचारी किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी या ऐसे व्यक्ति से जिसका सम्बद्ध सहकारी समिति के साथ कोई लेन–देन हो, कोई उपहार या परितोषण की याचना नहीं करेगा या उसे स्वीकार नहीं करेगा।

(6) कोई भी कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, कहीं भी अपने लिये य अन्य व्यक्तियों के अभिकर्त्ता के रूप में धन सम्बन्धी लाभ के लिये व्यक्तिगत रूप से कोई अन्य कार्य–कलाप नहीं करेगा।

(7) (क) कोई भी कर्मचारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुज्ञा के बिना और मुख्य कार्यकारी क दशा में, समिति के सभापति की अनुज्ञा के बिना अपने कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(ख) कोई भी कर्मचारी, जो अवकाश के बिना अपने कार्य से अनुपस्थित रहता है या अपने अवकाश से अधिक रूकता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जो उसके वश में न हो, जिसके लिये उसे संतोषजनक स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहिये ऐसी अनुपस्थिति या अधिक रूकने की अवधि के लिये वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और अग्रेत्तर ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही की ज सकेगी जो उन परिस्थितियों में उस पर आरोपित की जायें।

(8) कोई कर्मचारी, काम पर के सिवाय, अपनी तैनाती के मुख्यालय से उस अधिकारी की अनुज्ञा व बिना जिसके अधीक्षण तथा नियन्त्रणाधीन वह कार्य करता हो, अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(9) प्रत्येक कर्मचारी कार्यालय में समय पर उपस्थित होगा और उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्ष करेगा जिसे नित्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के समक्ष, जो इस प्रयोजनार्थ मुख

कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, प्रस्तुत किया जायेगा।

(10) कोई भी कर्मचारी स्टॉक, अंश, प्रतिभूति, बुलियन या किसी प्रकार की वस्तुओं का सट्टा नहीं करेगा।

(11) कोई भी कर्मचारी अपनी सेवा सम्बन्धित किसी मामले में प्रबन्ध कमेटी के किसी सदस्य से संसर्ग स्थापित नहीं करेगा और कोई अपील (जैसा कि इस विनियमावली में उपबन्धित है) नहीं करेगा और अथवा व्यक्तिगत रूप से अभ्यावेदन ऐसे प्राधिकारियों को जो उस पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम हो,

(12) (i) कोई भी कर्मचारी –

(क) अपनी समिति के, या

(ख) केन्द्रीय समिति के, जिससे उसकी सेवायोजक समिति सम्बद्ध हो, या

(ग) सहकारी समिति के, जो उस समिति से सम्बद्ध हों, जिसमें वह सेवायोजित है:

किसी अन्य कर्मचारियों से धन उधार नहीं लेगा या किसी भी प्रकार अपने को उनके धन सम्बन्धी दायित्वाधीन नहीं करेगा।

(ii) कोई भी कर्मचारी उस समिति से जिसका वह कर्मचारी है या उस समिति से जो उसकी सेवायोजन समिति की ऋणी हो, ऐसा संव्यवहार नहीं करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को करने की अनुज्ञा देगा जिसमें उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसके उलझन में पड़ने या प्रभावित होने की संभावना हो।

स्पष्टीकरण– इस विनिमय के अधीन 'कुटुम्ब' का तात्पर्य पत्नी/पति, पुत्रों तथा आश्रित (1) पुत्रियों (2) भाइयों (3) पिता (4) माता (5) बहिनों (6) पौत्रों या पौत्रियों से होगा।

47.ऋण की स्थिति के सम्बन्ध में एक हस्ताक्षरित विवरणी प्रस्तुत करना

प्रत्येक कर्मचारी जो ऋणी है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को और यदि कर्मचारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी है तो समिति के सभापति को प्रतिवर्ष 20 जून को अपने ऋण की स्थिति के सम्बन्ध में एक हस्ताक्षरित विवरणी प्रस्तुत करेगा और विवरणी में उन उपायों को इंगित करेगा जिन्हें वो अपनी स्थिति को सुधार करने के लिए कर रहा है। ऐसे कर्मचारी के ऊपर जो ऋणी है उक्त विवरणी प्रस्तुत नहीं करता या अपने ऋण का समापन दिये गये युक्ति–युक्त समय, जिसके अर्न्तगत बढ़ाया गया समय, यदि कोई हो, भी है, के भीतर करने में असमर्थ है या किसी दिवालिया न्यायालय में परित्राण के लिए आवेदन करता है, अनुशासनिक कार्यवाही, जो उसे सेवा से हटाये जाने तक हो सकती है, की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण –(1) इस विनियम के प्रयोजनार्थ कोई कर्मचारी, यदि उसका कुल उधार उनको छोड़कर जो पूर्णतया सुरक्षित है, उसके छः महिने के वेतन से अधिक है ऋणी समझा जायेगा।

(2) ''युक्तियुक्त समय'' वह अवधि होगी जो कर्मचारी के वित्तीय संशाधनों तथा उसकी बचनबद्धता को ध्यान में रखते हुये प्रबन्ध कमेटी द्वारा नियत की जाय, ऐसी अवधि छः माह से कम तथा चौबीस माह से अधिक न होगी, इसके अतिरिक्त जो विशेष परिस्थितियों के अधीन अग्रेतर बारह माह तक बढाई जा सकेगी।

(3) यह विनियम उन मामलों के सम्बन्ध में प्रयोज्य नहीं होगा जहाँ कर्मचारी ने अपनी भविष्य निधि से लौटाये जाने वाला अग्रिम लिया है।

48.दूसरे विवाह का निषिद्ध होना — सहकारी समिति का कोई भी कर्मचारी जिसकी एक पत्नी/पति जीवित हो, दूसरा विवाह नहीं करेगा।

49.समिति से किसी उधार का लेन–देन न करना — सहकारी समिति का कोई कर्मचारी, सिवाय जैसा कि अधिनियम या सम्बद्ध समिति के नियमों या उपविधियों के अधीन अनुज्ञेय है, अपनी समिति या किसी अन्य समिति से कोई उधार का लेन–देन न तो करेगा न जारी रखेगा।

50. निलम्बन — (1) ऋण अथवा किसी अपराधिक आरोप के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया कोई कर्मचारी उसकी गिरफ्तारी के दिनांक से निलम्बित होगा:

परन्तु यह कि वह जमानत या मुचलका पर छोड़ दिया जाता है तो उसे निबन्धक के अनुमोदन से उस समय तक जब तक कि उसके विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित न कर दिये जाय, पुनः कार्यभार ग्रहण करने तथा उस पर कार्य करने तथा उस पर कार्य करते रहने की अनुज्ञा दी जा सकती है:

परन्तु यह और कि उसके कार्य में परिवर्तन किया जा सकता है यदि निबन्धक अथवा नियुक्त प्राधिकारी की राय में उसका उसके मूल कार्य पर बना रहना समिति के हित में असमीचीन अथवा प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो।

(2) कोई कर्मचारी जो किसी दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता समन्वित किसी दण्डिक अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जाता है, पदच्युत कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण –''दोष सिद्धि'' का तात्पर्य कारावास, जुर्माना अथवा दोनों प्रकार के दण्ड से है।

अध्याय–6 (शास्ति, अनुशासनिक कार्यवाही और अपील)

51.कर्मचारियों को दण्ड — (1) किसी अन्य विनियम में दिये गये उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी कर्मचारी को जो अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है या दण्ड अपराध या **उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा** 103 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हुआ है या इस विनियमावली द्वारा प्रतिषिद्ध कोई कार्य करता है, निम्नलिखित शास्तियों में से किसी द्वारा दण्डित किया जा सकेगा–

(क) निन्दा करना,
(ख) वेतन वृद्धि रोकना,
(ग) श्रेणी 4 के किसी कर्मचारी (चपरासी, चौकीदार आदि) पर जुर्माना।
(घ) कर्मचारी के आचरण द्वारा सहकारी समिति के होने वाली किसी धन सम्बन्धी क्षति को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में क्षतिपूर्ण करने के लिए वेतन या प्रतिभूति जमा से वसूली।
(ड़) कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप में धृत पद या श्रेणी में अवनति,
(च) सेवा से हटाया जाना, या

(छ) सेवा से पदच्युति।

(2) दण्ड के आदेश की प्रतिलिपि अनिवार्यतः सम्बद्ध कर्मचारी को दी जायेगी और कर्मचारी के सेवा अभिलेख में इस आशय की प्रविष्टि की जायेगी।

(3) निन्दा करने के अलावा कोई भी शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस न दे दिया गया हो और या तो वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर उत्तर देने में असफल रहा हो अथवा उसका उत्तर दण्ड देने वाले अधिकारी द्वारा असन्तोषजनक पाया गया हो।

(4) (क) आरोपित कर्मचारी को समुपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अपराध की गम्भीरता के अनुसार दण्ड दिया जायेगा।

परन्तु यह कि उपनियम (1) के खण्ड (ड़), (च) तथा (छ) के अधीन कोई शास्ति अनुशासनिक कार्यवाही किये बिना आरोपित नहीं की जायेगी।

(ख) कोई कर्मचारी उस प्राधिकारी से, जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था, भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा तब तक हटाया या पदच्युत नहीं किया जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ने ऐसे प्राधिकार का प्रतिनिधायन ऐसे अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को लिखित रूप में पहले ही न कर दिया हो।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकारी व्यक्ति वेतन वृद्धि रोकने का आदेश देते समय उस अवधि का जब तक के लिये वह रोकी गयी है और इसका कि क्या उससे भविष्य की वेतन वृद्धियॉ अथवा पदोन्नति स्थगित होगी, उल्लेख करेगा।

अध्याय–7 अनुशासनिक कार्यवाहियॉ

52.अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया

(1) किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही जॉचकर्ता अधिकारी नीचे खण्ड (4) में निर्दिष्ट द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुये की जायेगी जिसके लिये यह आवश्यक होगा कि :–

(क) कर्मचारी को एक आरोप पत्र दिया जायेगा जिसमें विनिर्दिष्ट आरोपों और प्रत्येक आरोप के समर्थन में साक्ष्य का हवाला दिया होगा और उससे युक्तियुक्त समय के भीतर जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा, आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ख) किसी ऐसे कर्मचारी को अपने प्रतिवाद के लिए अपने व्यय पर साक्षियों को प्रस्तुत करने या साक्षियों की प्रति–परीक्षा करने का अवसर भी दिया जायेगा और यदि वह ऐसा चाहे तो उसे व्यक्तिगत रूप में सुने जाने का अवसर भी दिया जाएगा।

(ग) यदि आरोप पत्र के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न हो या प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक हो तो सक्षम प्राधिकारी उसे आवश्यक समुपयुक्त दण्ड दे सकता है।

(2) (क) यदि कोई कर्मचारी फरार हो गया है और समिति को तीन मास से अधिक से उसके ठौर ठिकाने का पता नहीं है, या

(ख) यदि कर्मचारी बिना पर्याप्त कारणों से जॉचकर्ता अधिकारी के समक्ष जब उसे विर्निदिष्ट लिखित रूप में हाजिर होने के लिये बुलाया जाए, हाजिर होने से इन्कार करता

है अथवा हाजिर नहीं होता है, या

(ग) यदि उसे अन्यथा (उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे) संसूचित करना सम्भव नहीं है,तो सक्षम प्राधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही बिना किए या बिना जारी रखे समुचित दण्ड दे सकता है,

(3) समिति द्वारा किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही निरीक्षणकर्ता अधिकारी अथवा समिति के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसके नियन्त्रणाधीन कर्मचारी कार्य कर रहा हो, इस आशय की रिपोर्ट दिये जाने पर, की जायेगी।

(4) जाँचकर्ता अधिकारी, जिला स्तरीय समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जायेगा।

परन्तु यह कि वह अधिकारी जिसकी प्रेरणा से अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, जाँचकर्ता अधिकारी तैनात नहीं किया जायेगा।

(5) कार्यकारी सहायक एवं विकास सहायक की दशा में समिति की प्रबन्ध कमेटी और यदि उपविधियों में ऐसी व्यवस्था की गई हो तो समिति का सभापति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध आरोप पत्र की एक द्वितीय प्रति तैयार करेगा और उसे सदस्य सचिव, जिला स्तरीय सशक्त समिति को भेजेगा, यदि रिपोर्टकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बना दिया गया हो, उस समिति से वापस बुला लेगा और उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेगा।

(6) जिला स्तरीय सशक्त समिति द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में कर्मचारी निलम्बनाधीन रखा जा सकता है:–

(क) जब कि उक्त प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि प्रथम दृष्टया मामला ऐसा है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी के हटाये जाने, पदच्युत किये जाने या पदावनत किये जाने की सम्भावना है,

(ख) जब कि उसके आचरण के सम्बन्ध में तुरन्त जाँच करना आशायित या विचाराधीन हो और उसका अपने पद पर अग्रेत्तर बना रहना समिति के हित में अहितकर समझा जाये,

(ग) जबकि उसके विरूद्ध किसी ऐसे दण्ड अपराध की कोई शिकायत पुलिस के अन्वेषणाधीन हो जिसके लिये वह गिरफ्तार किया गया हो या भारतीय दण्ड संहिता, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 या अन्य किसी अधिनियम के अधीन किसी विधि न्यायालय में विचारण हो रहा हो या किसी दण्ड न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये गये हो–

प्रतिबन्ध यह कि निलम्बन नियम 52 के उपनियम (1) के अनुसार हो तो वह बाध्यकर होगा।

(7) (क) निलम्बनाधीन कर्मचारी अपने वेतन के एक तिहाई और अपने महँगाई भत्ते के एक तिहाई के बराबर निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा :

परन्तु यह कि कोई कर्मचारी जो इस विनियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को निलम्बाधीन हो, वेतन का एक ऐसा भाग और ऐसे भत्ते प्राप्त करता रहेगा जिनके लिये उसे निलम्बन की अवधि में प्राप्त करने की अनुमति दी गयी थी :

परन्तु यह और कि निर्वाह भत्ते का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कर्मचारी ने इस बात का प्रमाण पत्र न दिया हो और निलम्बन का आदेश देने वाले

प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि कर्मचारी निलम्बनाधीन अवधि के दौरान किसी अन्य सेवायोजन, कारोबार, वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं लगा था और उसने उसके लिए कोई पारिश्रमिक अर्जित नहीं किया है।

(ख) यदि निलम्बन की अवधि, सम्बद्ध कर्मचारी की त्रुटि के बिना छः मास से आगे बढ़ जाये तो निर्वाह भत्ता उसके वेतन और महँगाई भत्ते के आधे तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ग) (1) जब कोई कर्मचारी बहाल किया जाये तो बहाली का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी निलम्बन की अवधि के लिए दिये जाने वाले वेतन तथा भत्तों और उक्त अवधि कार्य पर व्यतीत की गई अवधि मानी जायेगी या नहीं के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आदेश देगा :

परन्तु यह कि जहॉ बहाली का आदेश देने वाले प्राधिकारी की राय हो कि कर्मचारी पूर्णतया दोषमुक्त कर दिया गया है या निलम्बन पूरी तौर से अनुचित था, वहॉ कर्मचारी को पूरा वेतन तथा भत्ते जिनके लिए वह यदि निलम्बित न किया गया होता, हकदार होता, दिये जायेंगे।

(2) ऐसे मामलों में जो पूर्ववर्ती उप खण्ड (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत नहीं आते हैं, कर्मचारी को वेतन तथा भत्तों का ऐसा अनुपात दिया जायेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी आदेश दें।

(घ) खण्ड (ग) (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में निलम्बन की अवधि कार्य पर व्यतीत की गई अवधि नहीं मानी जायेगी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी सुस्पष्टतः यह निर्देश न दे कि वह इस रूप में मानी जायेगी।

(ड़) निलम्बन आदेश भूतलक्षी दिनांक से प्रभावी नहीं होगा।

(च) निलम्बनाधीन किसी कर्मचारी की छुट्टी स्वीकार नहीं की जायेगी।

(छ) कोई कर्मचारी जिसके विरूद्ध या तो ऋण के लिये या किसी दण्डिक आरोप के लिए उसकी गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी हो या जिसके निवारक निरोध के लिये किसी विधि के अधीन निरूद्ध किया गया हो, उस अवधि के लिये, जिस अवधि के दौरान वह इस प्रकार अभिरक्षा में निरूद्ध रखा गया है या कारावास में हो, निलम्बनाधीन समझा जायेगा और उसे ऐसी अवधि के लिये उपखंड (क) और (ख) के अधीन अनुमन्य निर्वाह भत्ते से भिन्न कोई वेतन या भत्ता नहीं दिया जायेगा, जब तक कि यथा स्थिति, उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही समाप्त न हो जाय या उसे निरोध से मुक्त कर लिया जाये और उसे पुनः कार्य पर उपस्थिति होने की अनुमति न दे दी जाय।

(8) जुर्माने की दशा में, जुर्माने की कुल धनराशि आधे मास के वेतन या मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 जहां पर अधिनियम सम्बद्ध कर्माचारी पर प्रयोज्य हो, के अधीन प्रभार्य अधिकतम जुर्माने से अधिक नहीं होगा और यह उसके वेतन से मासिक किस्तों में काटी जायेगी तथा प्रत्येक ऐसी किस्त उसके मासिक वेतन के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी।

(9) **निलम्बन आदेश**–(क) उस प्राधिकारी द्वारा जिसने ऐसा आदेश दिया हो, या

(ख) नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रतिसंहरित किया जाता सकता है यदि उसके प्रतिसंहरण के लिये पर्याप्त कारण हों और जिन्हें प्रतिसंहरण के आदेश में अभिलिखित किया जायेगा।

(10) कोई भी कर्मचारी सामान्यतया छः मास से अधिक निलम्बनाधीन नहीं रहेगा।

परन्तु यह कि यह शर्त ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां निलम्बन किसी अपराधिक आरोप या न्यायालय के निर्देश पर दिया गया हो।

53. अपील — नियम 51 के उपनियम (1) के खण्ड (क) से (घ) के अधीन शास्ति आरोपित करने के आदेशों की अपील सहायक कार्यकारी /मुख्य कार्यकारी द्वारा मण्डल स्तरीय कमेटी तथा विकास सहायक द्वारा जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष के समक्ष की जा सकेगी।

नियम 51 के उपनियम (1) के खण्ड (ड) से (छ) तक के अधीन शास्ति आरोपित करने के आदेश, सिवाय राज्य स्तरीय समिति की पूर्व सहमति के नहीं कये जायेंगें।

54.अपील का तरीका — प्रत्येक अपील में निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति की जाएंगी–

(क) वह शिष्ट और आदरपूर्ण भाषा में व्यक्त की जायेगा

(ख) उसमें समस्त सारबान तथ्य और तर्क दिए जायेंगे और वह स्वतः पूर्ण होगी,

(ग) उसके साथ दोषारोपण आदेश की एक सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न होगी,

(घ) उसमें वांछित अनुतोष विनिर्दिष्ट किया जायेगा,

(ड़) यह शास्ति आरोपित करने वाले आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर उचित माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी:

परन्तु यह कि जहॉ अपील मण्डल को की जानी हो वहॉ वह यथाविधि हस्ताक्षरित तथा दिनांकित अपील के ज्ञापन की दो प्रतियों के साथ सीधे प्रस्तुत की जा सकती है।

55.अपील का अग्रसारण — नियम 51 के उपनियम (ड) के अधीन उचित माध्यम से की गई कोई अपील एस प्राधिकारी की टिप्पणी के साथ जिसके माध्यम से वह प्रस्तुत की जाय, अनुचित विलम्ब किये बिना अपीलीय प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जायेगी।

56.अपील की अस्वीकार्यता — इस विनियमावली में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई अपील अन्य प्राधिकारियों या व्यक्तियों को सम्बोधित अथवा पृष्ठांकित नहीं की जायेगी। इस विनियम की कोई अवज्ञा तथा अपील प्राधिकारी को प्रभावित करने या पक्ष समर्थन करने का प्रयास अनुशासन का उल्लंघन समझा जायेगा, जिससे अपील अस्वीकार की जा सकेगी तथा कर्मचारी पर अनुशासन भंग करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

57.प्रकीर्ण — 1. इस नियमावली के अन्तर्गत न आने वाला कोई मामला ऐसे निर्देशों द्वारा नियन्त्रित होगा जिसे निबन्धक के अनुमोदन से प्राधिकारी दें।

2.यदि इस नियमावली के लागू किये जाने में कोई शंका या विवाद उत्पन्न हो तो उसे निबन्धक को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों पर बन्धनकारी होगा।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।